

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-330/पॉच-8-2017-रिट(131)/2016  
लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 प्रमोद कुमार शर्मा, चिकित्साधिकारी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में दिनांक 07-6-1977 को प्रथम योगदान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जापुर पर किया गया था। डा0 शर्मा द्वारा दिनांक 12-01-1983 तक सेवा की गयी। तदोपरान्त वह दिनांक 13-01-1983 से 10-6-1991 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। शासन के आदेश संख्या-1904/चिकि0-4- पॉच-1991, दिनांक 10-5-1991 द्वारा डा0 शर्मा को चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने की स्वीकृत प्रदान करते हुए उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति एवं अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया।

2- डा0 प्रमोद कुमार शर्मा की अनधिकृत अनुपस्थिति को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में संगत नियमों एवं उपलब्ध अभिलेखों पर विचार किया गया। विचारोपरान्त यह पाया गया कि शासनादेश संख्या-जी-2-279-दस-2001, दिनांक 06.06.2001, जिसमें सरकारी सेवक के लम्बी अवधि के लिए सेवा से अनुपस्थित हो जाने के प्रकरणों को विनियमित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, के अनुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-18 के उपबन्धों के अधीन 05 वर्ष तक की अनुपस्थित अवधि को ही विनियमित किया जा सकता है। डा0 शर्मा की अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि 08 वर्ष से अधिक है अतएव उन्हें नियमों के अनुरूप असाधारण अवकाश या कोई अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 प्रमोद कुमार शर्मा की अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि दिनांक 13-01-1983 से 10-6-1991 तक को सेवा में व्यवधान माना जाएगा।

अरुण कुमार सिन्हा  
अपर मुख्य सचिव।


संख्या 330 (1)/पॉच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

3. अपर निदेशक, (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
6. डा0 प्रमोद कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी द्वारा—श्री रामनाथ मिश्रा, बी-166, राजाजीपुरम, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

  
(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव